

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—ई32/स्वा0/स्वा0निरी0/(934)/2019/

दिनांक:—

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-11(7)एफडी/रूल्स /2008 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ 11(7)एफडी (नियम)/2008 पार्ट-1 दिनांक 06.10.2008 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए श्री महेन्द्र कुमार विजय, स्वास्थ्य निरीक्षक को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन जिला	संवर्ग में प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्णित तिथि को सेवा पूर्ण	देय पे ब्रेण्ड/चय. वेतनमान	देय ग्रेड पे
1	श्री महेन्द्र कुमार विजय, स्वा0 निरी0	बारां	05.01.1987	05.01.2014 (27वर्ष)	9300-34800	4800

sd
(मुकुल शर्मा)
अति0 निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:—ई32/स्वा0/स्वा0निरी0/(934)/2019/208

दिनांक:—18/3/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को उनके के पत्र क्रमांक 313 दिनांक: 16.02.2019 के क्रम में।
2. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किशनगंज (बारां)।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
5. आदेश पत्रावली।

sd
अति0 निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।